राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांक : एफ 6(57)प्र.सु./अनु.3/2004(1) दिनांक : 30.10.2004

आदेश

ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के क्षेत्र में निर्णय लेने की प्रकिया में एवं राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति की कियान्विति में गति लाने की दृष्टि से, कार्य विधि नियम 21 के अन्तर्गत एक सर्वाधिकार प्राप्त समिति एवं तकनीकी समिति के गठन की राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। समिति का गठन निम्न प्रकार होगा:–

समिति	*गठन*	*स्थिति*	*कार्य क्षेत्र*
सर्वाधिकार प्राप्त समिति	1. मुख्य सचिव	अध्यक्ष	ई–गवर्नेन्स परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति
	2. प्रमुख शासन सचिव (वित्त) या उनके मनोनित प्रतिनिधि	सदस्य	
	3. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	सदस्य	
	4. सचिव, योजना	सदस्य	
	5. संबंधित विभागों के सचिव	सदस्य	
	6. शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से मनोनित प्रमुख तकनीकी संस्थाओं तकनीकी के दो विशेषज्ञ (जैसे IIT Institutes, BITs, Pilani, LNMIT etc)	विशेष आमंत्रित	
	7. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	सदस्य सचिव	
तकनीकी समिति	1. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	अध्यक्ष	ई–गवर्नेन्स परियोजना की पहचान तकनीकी मुल्यांकन एवं कियान्वयन की संभावनाओं का पता लगाना।
	2. सिस्टम एनालिस्ट–द्वितीय	सदस्य	
	3. संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष	सदस्य	
	4 मुख्य लेखाधिकारी/ संबंधित विभाग के वरिष्ठ लेखाधिकारी	सदस्य	
	5. विभाग मे पदस्थापित एनालिस्ट कम प्रोग्रामर अथवा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संबंधित अन्य अधिकारी	सदस्य	
	6. यदि आवश्यक हो तो निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से मनोनित अधिकतम दो तकनीकी विशेषज्ञ	विशेष आमंत्रित	
	7. सिस्टम एनालिस्ट–प्रथम	सदस्य सचिव	

ई–गवर्नेन्स से संबंधित योजनाओं के तकनीकी मुल्यांकन एवं प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के लिय निम्न लिखित प्रकिया अपनाई जावेगी:–

1. ई–गवर्नेन्स परियोजना को चिन्हित करना/दिशा निर्धारित करना – सर्वाधिकार प्राप्त समिति को यह अधिकार होगा कि वह प्राथमिकता के आधार पर परियोजना चिन्हित कर उसके कियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश जारी कर सकेगी। सर्वाधिकार प्राप्त समिति के निर्देशन में तकनीकी समिति एक सम्भावना अध्ययन (Feasibility Study) का विवरण प्रस्तुत करेगी।

2. सर्वाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण : तकनीकी समिति उस सम्भावना अध्ययन (Feasibility Study) की रिपोर्ट सर्वाधिकार प्राप्त समिति को प्रस्तुत करेगी जिसमें योजना की तकनीकी आवश्यकताएं, वित्तीय एवं प्रशासनिक जरूरते आदि सम्मिलित होगी।

3. सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा योजना की मंजूरी : तकनीकी समिति द्वारा दिये गये प्रस्तुतिकरण एवं योजना का गहन अध्ययन करने के पश्चात सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा योजना को कियान्वित करने की मंजूरी दी जायेगी।

4. तकनीकी समिति द्वारा योजना का मुल्यांकन : निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग उक्त योजना के तकनीकी मूल्यांकन, कियान्वियन की प्रक्रिया एवं अन्य उपयुक्त तकनीक के सुझाव के लिये तकनीकी समिति को निर्देशित किया जायेगा। तकनीकी समिति अपनी रिपोर्ट निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को प्रस्तुत करेगी।

5. सर्वाधिकार प्राप्त समिति से योजना का अनुमोदन : निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा तकनीकी समिति की अनुशंसा को सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से सर्वाधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन हेतु भेजी जायेगी।

6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति : तकनीकी समिति की अनुशंसाओं के अध्ययन के पश्चात यदि आवश्यक समझे तो सर्वाधिकार प्राप्त समिति योजना को मंजूर करेगी एवं एक प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के स्तर पर जारी की जायेगी।

7. योजना का कियान्वयन : ई–गवर्नेन्स से संबंधित योजनाओं का कियान्वयन इस संबंध में बनाई गई समिति मे निहित शक्तियों के अन्तर्गत निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सचार विभाग द्वारा किया जायेगा।

8. निविदा की प्रक्रिया : अनुमोदित योजना के कियान्वयन हेतु कम्प्यूटर्स, सॉफ्टवेयर एवं अन्य मदो की क्रय हेतु एक क्रय समिति का गठन किया जायेगा। यदि आवश्यकता हो तो तकनीकी साझेदार अथवा सलाहकार की सेवायें भी ली जा सकेगी। 20 लाख रूपये तक की खरीद के लिये एकल निविदा पद्धति अपनाई जायेगी। परन्तु 20 लाख से अधिक की खरीद हेतु द्वि–निविदा पद्धति के आधार पर तकनीकी निविदा व वित्तीय निविदा आमंत्रित की जायेगी। निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार द्वारा प्रत्येक योजना के लिये आवश्यक सामान खरीदने हेतु एक विशिष्ठ क्रय समिति का गठन किया जायेगा। जिसका अनुमोदन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार से होगा।

9. प्रबोधन (**Monitoring**) – ई–गवर्नेन्स से संबंधित अनुमोदित एवं सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित अन्य परियोजनाओं के समय समय पर प्रबोधन करने एवं उचित दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार सर्वाधिकार प्राप्त समिति को होगा। सम्बन्धित विभागों पर ऐसे दिशा निर्देश बाध्य होगें।

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में ही उचित बजट प्रावधान उपलब्ध होना आवश्यक होगा। जैसे ही परियोजना का तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय अनुमोदन, सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा कर दिया जायेगा तो यह मान लिया जायेगा कि उक्त परियोजना प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग व आवश्यकतानुसार विधि विभाग से अनुमोदित है ।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित परियोजनाओं के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी कार्य बल (अथवा बहुमत) द्वारा प्रदत्त सुझावों पर विचार किया जाना आवश्यक होगा।

इस सर्वाधिकार प्राप्त समिति का कार्यक्षेत्र अधिकार राज्य के सभी आई.टी. परियोजनाओ पर भी होगा जिससे यह समिति राज्य में ई.गर्वनेन्स व आई. टी. की वृहत रुपरेखा के परिप्रेक्ष्य में आकलन कर इन परियोजनाओ को समाहित कर सके।

इस आदेश के जारी होने के पश्चात पूर्व में जारी किये गये CITPA के गठन के आदेश संख्या F6(30)AR/Gr.3(95) dt. 29.1.1999, टास्क फोर्स कमेटी के गठन के आदेश संख्या F6(25)/AR/Gr.3/2001 dt. 3.7.01 एवं सर्वाधिकारी प्राप्त समिति के गठन के आदेश संख्या F6(13)/AR/Gr.3/2002 dt. 23.4.02 आदि को निरस्त समझा जाये।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग उपरोक्त समिति के लिये प्रशासनिक विभाग होगा। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,

(आर. सी. अग्रवाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान सरकार
6. समस्त सचिव, राजस्थान सरकार
7. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान सरकार
8. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियां संबंधित सदस्यों हेतु प्रेषित है
9. समस्त विभागाध्यक्ष
10. उप शासन सचिव, योजना
11. उप शासन सचिव, वित्तीय (व्यय–I, II, III & IV)
12. गार्ड फाईल।

उप शासन सचिव